राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

कदमा नं. :– 992/2023

उनवान

रवि कुमार बनाम पूनम वगै0

रवि कुमार पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं

वादी

बनाम

1. पूनम माता स्व. प्रभाती पत्नी प्रभूदयाल जाति मीणा निवासी मकान संख्या 1/5 पुराना आवासन मण्डल झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. भंवरी देवी पत्नी सुलतानाराम जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. छगन पुत्र सुलतानाराम जातिगण मीणा निवासीगण नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. गुलाराम पुत्र सुलतानाराम जातिगण मीणा निवासीगण नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. पतासी पुत्री सुलतानाराम जातिगण मीणा निवासीगण नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. शिव कुमार माता स्व. गुलाब पुत्र दयाराम जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. राजकुमार माता स्व. गुलाब पुत्र दयाराम जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. ममता माता स्व. गुलाब पुत्री दयाराम पत्नी बंटी जाति मीणा निवासी तोगड़ा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
9. सुनिता माता स्व. गुलाब पुत्र दयाराम पत्नी ईश्वर जाति मीणा निवासी फतेहसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10. दुर्गा माता स्व. गुलाब पुत्री दयाराम पत्नी रविशंकर जाति मीणा निवासी तोगड़ा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
11. मुकेश पुत्र हीरालाल (पौत्र सुलतानाराम) जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
12. किरण पुत्री हीरालाल (पौत्री सुलतानाराम) पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी झण्डुवाला सेक्टर तहसील सराजीया जिला फतियाबाद (हरियाणा)
13. मंजू पुत्री हीरालाल (पौत्री सुलतानाराम) जाति मीणा निवासी राकेश कुमार निवासी झण्डुवाला सेक्टर तहसील राजीया जिला फतियाबाद (हरियाणा)
14. सावित्री पुत्री हणुताराम पत्नी भंवरलाल जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
15. अणची पत्नी प्यारेलाल जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
16. ओमप्रकाश पिसरान प्यारेलाल जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
17. बाबूलाल पिसरान प्यारेलाल जाति मीणा निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
18. सरबती पुत्री हणुताराम पत्नी भंवरलाल जाति मीणा निवासी मणीपुर पोस्ट अग्रवा जिला हिसार (हरियाणा)
19. परमानन्द माता स्व. बनारसी पुत्रगण डालूराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं 25 एटीआर की ढाणी पोस्ट पारामुका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

शिवभगवान माता स्व. बनारसी पुत्रगण डालूराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं 25 एटीआर की ढाणी पोस्ट पारामुका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

लालचन्द माता स्व. बनारसी पुत्रगण डालूराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं 25 एटीआर की ढाणी पोस्ट पारामुका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. पप्पूराम माता स्व. बनारसी पुत्रगण डालूराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं 25 एटीआर की ढाणी पोस्ट पारामुका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

23. संतरा माता स्व. बनारसी पत्नी लालचन्द जाति मीणा बीसरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

24. सुमन माता स्व. बनारसी पत्नी मंगलचन्द जाति मीणा बीसरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

25. प्रबंधक झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी बैक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोड़ झुन्झुनूं।

26. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुन्झुनूं

27. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

विवेचन **दिनांक : 08.10.2024**

वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं में हाल भूमि खसरा नं. 144 रकबा 1.76 है0, खसरा नं 145 रकबा 1.83 है0, खसरा नं 596 रकबा 1.53 है0 किता 3 का कुल रकबा 5.12 है0 अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 की सहखातेदारी की भूमि है वादी ने यह भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 24 में अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार वे अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। वादी को अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का सुधार कार्य करना हो या पुख्ता निर्माण करना हो तो बिना विधिवत विभाजन ऐसा संभव नही है। जब प्रतिवादीगण से वादी ने बंटवारे हेतु निवेदन किया तो उन्होने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए न्यायालय में वाद कारण पैदा हुआ।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2024 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार कर डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार झुन्झुनू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 1 व 9 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 478 रकबा 2.10 है0 शामिल किया जाकर पुनः तहसीलदार झुन्झुनू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया । तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/1970 दिनांक 01.10. 2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिशल किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील पक्षकारानों ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किया जाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जाकर बहस वावी पर बगौर मनन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम निर्णय

वाद वादी सिद्ध होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम से डिक्री किया जाता है। राजस्व ग्राम नयासर तहसील व जिला झुन्झुनूं में हाल भूमि सरा नं. 144 रकबा 1.76 है0, खसरा नं 145 रकबा 1.83 है0, खसरा नं 915/596 रकबा .4660 है0, खसरा नम्बर 478 रकबा 2.10 है0 कृषि भूमि का मुताबिक विभजान प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

08/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)